

अनु.क्र.	कर्मजदाता (ओं) का नाम (ए)	गिस्वी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1.	कर्म खाता क्र. HHLNOIO00458223 1. कर्मज कुमार भागीदार शेर ए पंजाब बस सर्विस 2. नतिन	यूनिट नंबर 1205, बारहवीं मंजिल, ब्लॉक/टावर नंबर ट्यूलिप, जिसका कारपेट एरिया 88.00 वर्ग मीटर (947.00 वर्ग फीट) है और कुल क्षेत्र 153.29 वर्ग मीटर (1650.00 वर्ग फीट) है, गैराज/बंद पार्किंग नंबर 1096 के साथ, ऊपरी बेसमेंट, माप 13.75 वर्ग मीटर, सार्वजनिक क्षेत्रों और सुविधाओं में अनुप्राणित अधिभाजित हिस्से के साथ, ‘‘गौर सौंदर्यम्’’ नामक प्रोजेक्ट है, जो प्लॉट नंबर 0501 पर निर्मित है, सेक्टर टेक जेन-1V, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201303, उत्तर प्रदेश।	03.02.2026	रु. 45,80,550.05/- (रुपए पैंतालीस लाख अस्सी हजार पांच सौ पचास और पांच पैसे मात्र) 16.03.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाले(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस बर्षा में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार बूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतवर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई हैं।

उपयुक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आह्वान करती है कि, ये इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अवधान ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बन्ने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिगृहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सफरकेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ‘‘कर्मजदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की विक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड फ्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभावों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्मजदार विफल रहने पर कर्मजदार संपत्ति का मोचन करने के लिए प्राप्य नहीं हो सकता’’। सफरकेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार विक्री, पड़े के माध्यम से अन्याय नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते समान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाग्लूज हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : गौतम बुद्ध नगर

एसेट्सा केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी – 66, जी – ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051। टेलीफोन : 022 68643101। पंजीकृत कार्यालय : 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019। ई-मेल : acre.arc@acreindia.in। वेबसाइट : www.acreindia.in। CIN : U65993DL2002PLC115769
सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनॅंशियल एसेट्स एंड एफ्कोसॅंटेड ऑफ सिक्योरिटी इंस्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु.क्र.	कर्मजदाता (ओं) का नाम (ए)	गिस्वी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1.	कर्म खाता क्र. D019XII (आईएफएफएल का पहले का कर्म खाता क्र. HHLGAR000200118) 1. राखी सोलंकी उर्फ राखी (साह-उधारकर्ता, स्वामी देवेन्द्र सिंह की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी)	प्लॉट नंबर 94- सी पर बने घर के सभी भाग और खंड, खसरा नंबर 1033, क्षेत्र 166.86 वर्ग गज या 139.34 वर्ग मीटर, कवर्ड क्षेत्र 35 वर्ग मीटर है, शेष खुला क्षेत्र, शशि नाम में स्थित है, मौजा सिकंदरा बहिरासदाद होलामंडी वाई तहसील और जिला आगरा-282005, उत्तर प्रदेश, जिसका माप पूर्व से पश्चिम 30 फीट और उत्तर से दक्षिण 50 फीट है।	05.12.2019	रु. 20,75,879.37/- (रुपए बीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ लगाने और सैंतीस पैसे मात्र) 02.03.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाले(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस बर्षा में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार बूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतवर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई हैं।

उपयुक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आह्वान करती है कि, ये इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अवधान ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बन्ने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिगृहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सफरकेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ‘‘कर्मजदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की विक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड फ्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभावों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्मजदार विफल रहने पर कर्मजदार संपत्ति का मोचन करने के लिए प्राप्य नहीं हो सकता’’। सफरकेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार विक्री, पड़े के माध्यम से अन्याय नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

‘‘किसी भी शिकायत के लिए आप भी मोहम्मद शाकिम मलिक, शिकायत निवारण अधिकारी से, फोन नंबर 011 - 66115609, ई-मेल : complaint@acreindia.in पर संपर्क कर सकते हैं। विस्तृत नीति संगठन के अंदर शिकायत निवारण तंत्र पर https://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है’’।

कृते एसेट्ज केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड ए सी आर ई - 102- के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : आगरा

सार्वजनिक सूचना
सूचना दी जाती है कि मेरे मुखविकल सीईईई-ईएस डेवलपमेंट कनसल्टेंटस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स कनसल्टिंग इंडीग्रीप्रांसि सर्सिसेस (इंडिया) प्रा. लि. के नाम से ज्ञात), जिसका पैन कार्ड नंबर AADCC6394D है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एक कंपनी है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संशोधित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जे-217, साकेत, नई दिल्ली-110 017 में स्थित है तथा इसका कार्यालय पता 41-ए, मेकर टावरर्स-ई, चौथी मंजिल, कफ परेड, मुंबई-400005 स्थित उसकी इकाई सें. 41-ए, मेकर टावरर्स-ई, चौथी मंजिल कफ परेड, मुंबई-400 005 स्थित उसकी इकाई सें. 41-ए, मेकर टावरर्स-ई, चौथी मंजिल कफ परेड, मुंबई-400 005 (मेकर टावर ‘ई’ प्रिमाइडसेंस को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी) के साथ बिल्डिंग के कम्पाउंड में एक कार पार्किंग की जगह से. 06 (मालिकाना आधार पर), जिसका विवरण निम्नानु यहा नीचे अनुसूची में उल्लेखित है, की संपत्ति के शीर्षक की जांच करना चाहते हैं।

अनुसूची
सभी पाँच शेयर, जिन्को लिमिटेड संख्या 031 से 035 (दोनों सहित) हैं, जो शेयर प्रमाणपत्र संख्या 07 के अंतर्गत आते हैं, प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 100/- है तथा कुल मूल्य रु. 500/- (जिसे आने ‘‘कार्यालय/इकाई संख्या 41-ए के लिए कथित शेयर’’ कहा है), के अलावा ये (सीईई-ईएस डेवलपमेंट कनसल्टेंटस प्राइवेट लिमिटेड पूर्व में मेसर्स कनसल्टिंग इंडीग्रीप्रांसि सर्सिसेस (इंडिया) प्रा. लि. के नाम से ज्ञात) मेकर टावर ‘ई’ प्रिमाइडसेंस को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग के कम्पाउंड में एक कार पार्किंग की जगह सें. 06 (मालिकाना आधार पर) की हथद्वार है, यह को-ऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण सं. बीओएफ/डब्ल्यू-ए/जीएनएल/0/317/90-91 है, यह मेकर टावर ‘ई’, मुंबई-400 005 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1105.051 वर्ग फुट (कॉट एरिया) है, यह बिल्डिंग कोलांबा इंडीयान के प्लॉट सें. 73ए, 74, 83, 84 एवं 85 के सी एसे से. 641 वाली भूमि पर निर्मित है।

मालिकाना विलेख की गुमशुदगी मेसर्स हरिप्रसाद एस्टेट्स प्रा. लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय मेकर भवन I, सर वी दी, मुंबई-400 020 (जिसे कथित अनुबंध/मालिकाना विलेख दिनांक 27 मार्च 1980 में बिज्डर्स के रूप में संदर्भित किया गया है तथा मेसर्स सीईई-ईएस डेवलपमेंट कनसल्टेंटस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के बीच उपरोक्त अनुसूची में वर्णित कार्यालय परिसर के संबंध में दिनांक 27 मार्च 1980 (उत्तरी सी अस्सी) को संपादित मालिकाना विलेख पुनरा्थ हो चुका है। इस संबंध में कफ परेड धाना में गुमशुदगी रिपोर्ट सें. 174602-2025 दिनांक 29/12/2025 दर्ज की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कथित शेयरों और/अथवा कार्यालय का विवरण, गिरवी, बिजो, उपहार, पट्टा, श्रेष्ठाधिकार, प्रभार, प्यास, रखरखाव, सुव्यापिकार अथवा किसी भी अन्य प्रकार से कोई दाय है, उनसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि ये इस सूचना की तारीख से 14 दिनों के भीतर, नीचे दिए गए मेरे कार्यालय के पते पर, अयोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में अपने दावे की जानकारी प्रदान करें, अन्यथा, यह बिजो किसी भी दावे पर विचार किए बिना पूरी कर दी जाएगी और यदि कोई दावा है भी, तो उसे समान नाम जाएगा। दिनांक 14 अप्रैल, 2026

हस्ता/- एडवो. (श्री) सुरेन्द्र के. सिंह

एडवोकेट के बॉम्बे उच्च न्यायालय

दूरभाष : +91 98691 28675,

ईमेल: advsurendrakedsingh@gmail.com

एडवोकेट्स बार कंस, पहली मंजिल,

चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट,

महापालिका नगर, मुंबई-400 001

HDFC BANK
We understand your world

मांग सूचना

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा का पता: द्वितीय एवं तृतीय तल, प्रभियत्र प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टले हॉल के सामने, देहरादून-248 001
Tel.: 18002100018 CIN: L65922MH1994PLC080618 वेबसाइट: www.hdfcbank.com

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के अन्तर्गत

जैसा कि, (माननीय एसीएलटी-मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अघोस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना जारी कर जहां नीचे सूचीबद्ध ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनियियों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार संबधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबधित मांग सूचना/ सूचनाओं में वर्णित राशि को वापस लौटाने के लिये कहा था। अघोस्ताक्षरी ने उक्त ऋणी/उधारकर्ता/ कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनियियों के अंतिम ज्ञात पते के परिसरों में भी इन सूचनाओं को चिपकवाया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां अघोस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/ कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनियियों यदि ये ऐसा चाहें, उक्त प्रतियों को किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान अघोस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्वारा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/ कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनियियों को सूचित किया जाता है कि ये उक्त ऋणी द्वारा निष्पादित लिखित हैं, यदि कोई हो, किसी भी अथवा दस्तावेजों के साथ पठित ऋण अनुबंध के अन्तर्गत कौलम सी में नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं/अथवा उमाही की तिथि तक उक्त मांग सूचना में वर्णित लागू होने योग्य दूरी पर आगे के ब्याज के साथ ब्याज नीचे दशांशी गयी राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **एचडीएफसी** को भुगतान कर दें। ऋण की देय पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त ऋणी द्वारा **एचडीएफसी** के पास निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को बन्धक रखा गया है:

ऋणी/उधारकर्ता/ कानूनन वारिस (ओं) /कानूनन प्रतिनिधि (यों) का ध्यान सफरकेसी एक्ट की धारा 13 की उप-धारा(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में प्रतिभूत परिसम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र।सं (ए)	उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनियियों का नाम	कुल बकाया धनराशि (रु०*)	मांग सूचना की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति /अचल सम्पत्ति का विवरण
1	श्री बचन सिंह पिता श्री सर्विस कुमार एवं श्रीमती मोनी (अब मृतक) एवं प्राकृतिक संरक्षक मास्टर शैल्य एवं अन्य जाने अज्ञाने कानूनी उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि श्री सर्विस कुमार एवं श्रीमती मोनी (अब मृतक)	31,77,00८/- दिनांक 28.02.2026 तक एवं 01.03.2026 से देय ब्याज	06.04.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग खसरा नं० 329 एम पर मकान, ग्राम धनदौरा, रुड़की, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित

* भुगतान और/ या बसूली की तिथि तक लागू दर से ब्याज, आकस्मिक ब्याज, लागत, शुल्क सहित। यदि, उक्त ऋणदाता **एचडीएफसी** को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने गये नियमों के अन्तर्गत **एचडीएफसी** लागतात एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनियियों की सम्पूर्ण जोखिम पर ऊपर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों के प्रति आगे की कार्यवाही करेगी।

आगे का अधिनियम के अन्तर्गत **एचडीएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनियियों बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं।

आगे की कार्यवाही द्वारा उल्लंघन करने में अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कदम दिए/ अथवा दंड हो सकता है।

दिनांक: 14.04.2026, रजिस्ट्रार: रुड़की

पंजीकृत कार्यालय: **एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बरत मार्ग, लोवर प्लॉ (पश्चिम) मुम्बई-400 013**

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी

* भुगतान और /या वसूली की तिथि तक लागू दर से ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क सहित। यदि, उक्त ऋणदाता **एचडीएफसी** को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योगे नियमों के अंतर्गत **एचडीएफसी** लागतों एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनियियों की सम्पूर्ण जोखिम पर ऊपर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियां के प्रति आगे की कार्रवाई करेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत **एचडीएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनियियों विक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति इसका उत्पन्धन करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्राक्धानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उत्पन्धन करने पर इस अधिनियम के अंतर्गत कैद एवं/अथवा दंड हो सकता है।

दिनांक: 14.04.2026, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए स्थान : रुड़की पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बाग मॉन, लोवर पर्स (विमान) मुम्बई-400 013 प्राधिकृत अधिकारी

जैसा कि कर्मजदार राशि का भुगतान करने में असफल रहा, एतद्वारा कर्मजदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का अप्रोखितवर्तन तारीख को करना ले लिया है। विशेष रूप से कर्मजदार और सामान्य रूप में सर्व उन को संचित से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संघति का कोई भी लेन-देन आईआईआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रत्येक परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्मजदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।				
क्र. सं.	कर्मजदार / साह-कर्मजदार के नाम ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्जे की तारीख	मांग नोटिस की तारीख/मांग नोटिस में राशि (₹)	शाखा का नाम
1.	सुरेंद्र नाथ यादव (कर्मजदार), राजगुनित देवी (सह-कर्मजदार), प्लॉट नंबर बी 12ए, दूसरी मंजिल हनुमान मंदिर, शताब्दी एन्क्लेव सेक्टर 49 नोएडा गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर- 201301 उत्तर प्रदेश LHDWJ00001674104	संपत्ति नंबर 123 और 124, पहली मंजिल बिना छत अधिकार के, ब्लॉक- एल-2, खसरा नंबर 58/ 23 में से, गॉर्ड हस्तस्ताल के इलाके में स्थित, मोहन गार्डन नाम की कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज। सीमाएं- उत्तर में: संपत्ति नंबर एल-2-124, दक्षिण में: प्लॉट का हिस्सा, पूर्व में: 15 फुट की सड़क, पश्चिम में: 10 फुट की गली/ कब्जे की तारीख- 09-04-2026	15-01-2026 रु. 34,50,220/-	पश्चिमी- दिल्ली- जनकपुरी
2.	सुरेंद्र नाथ यादव (कर्मजदार), राजगुनित देवी (सह-कर्मजदार), प्लॉट नंबर बी 12ए, दूसरी मंजिल हनुमान मंदिर, शताब्दी एन्क्लेव सेक्टर 49 नोएडा गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर- 201301 उत्तर प्रदेश LHDWJ00001674213	संपत्ति नंबर 123 और 124, पहली मंजिल बिना छत अधिकार के, ब्लॉक- एल-2, खसरा नंबर 58/ 23 में से, गॉर्ड हस्तस्ताल के इलाके में स्थित, मोहन गार्डन नाम की कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज। सीमाएं- उत्तर में: संपत्ति नंबर एल-2-124, दक्षिण में: प्लॉट का हिस्सा, पूर्व में: 15 फुट की सड़क, पश्चिम में: 10 फुट की गली/ कब्जे की तारीख- 09-04-2026	15-01-2026 रु. 72,879.99/-	पश्चिमी- दिल्ली- जनकपुरी

उपरोक्त कर्मजदार(ओं)/जमानती(ओं) को एतद्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए 30 दिनी नोटिस दिया जाता है, अन्याथा बंधक संपत्तियों प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्राक्धानों के अनुसार इस नोटिस प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर विक्री की जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड स्थान: दिल्ली

एसेट्ज केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी – 66, जी – ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051। टेलीफोन : 022 68643101। पंजीकृत कार्यालय : 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019। ई-मेल : acre.arc@acreindia.in। वेबसाइट : www.acreindia.in। CIN : U65993DL2002PLC115769
सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनॅंशियल एसेट्स एंड एफ्कोसॅंटेड ऑफ सिक्योरिटी इंस्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु.क्र.	कर्मजदाता (ओं) का नाम (ए)	गिस्वी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1.	कर्म खाता क्र. HHLGARA00328381 1. सत्यजीत कुमार मार्फत आर्सेमिस मैकेनिकल सर्विसेज लिमिटेड 2. संजय रानी (गारंटर)	रप्लेट नंबर डी1-10013, दसवीं मंजिल, टावर-डी1, जिसमें 414.37 वर्ग फीट का कारपेटे क्षेत्र और 64.58 वर्ग फीट का बालकनी क्षेत्र है, ‘‘कृष्णा हाउसिंग स्कीम’’ में, सेक्टर-14, सोलापुरा-122001, हरियाणा, दो पहिया पार्किंग स्थल के साथ।।	08.01.2025	रु. 8,90,445.85/- (रुपए आठ लाख नवसे हजार बार सौ पैंतालीस और पचासी पैसे मात्र) 11.03.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाले(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस बर्षा में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार बूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतवर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई हैं।

उपयुक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आह्वान करती है कि, ये इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अवधान ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बन्ने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिगृहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सफरकेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ‘‘कर्मजदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की विक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड फ्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभावों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्मजदार विफल रहने पर कर्मजदार संपत्ति का मोचन करने के लिए प्राप्य नहीं हो सकता’’। सफरकेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार विक्री, पड़े के माध्यम से अन्याय नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

‘‘किसी भी शिकायत के लिए आप भी मोहम्मद शाकिम मलिक, शिकायत निवारण अधिकारी से, फोन नंबर 011 - 66115609, ई-मेल : complaint@acreindia.in पर संपर्क कर सकते हैं। विस्तृत नीति संगठन के अंदर शिकायत निवारण तंत्र पर https://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है’’।

कृते एसेट्ज केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड ए सी आर ई - 180- के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : गुडगांव

क्र. सं.	कर्मजदार/साह-कर्मजदार/ गारंटर का नाम	बकाया राशि (रु.)	ऋण राशि (रु.)	ऋण खाता सं.
1.	विजय सिंह 2. कुष्मा हार्द चंद	रु. 744210/ रु. (सात लाख बीसवीस हजार दो सौ रुपये)	रु. 620285 रु. 31.03.2026	GG1255571 सुचना की तिथि 5 अप्रैल, 2025

सम्पत्ति को अनुसूची: सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं संपूर्णगिराव ब्या पैसा: खसरा सें. 127 रोडन (एकवर्ग मीटर गंगावा का काला आगार उत्तर प्रदेश 282001) पधार पर मकान क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर **बीबी निम्नानुसार:** उत्तर की ओर 11 फीट की चौक, दक्षिण की ओर: अन्य का प्लॉट, पूर्व की ओर: 10 फीट सड़क, पश्चिम की ओर: भीरपट्ट का मकान।

1. राखन राम चौधरी (रबीस सह अदाईस हजारा एक सौ अस्सी)

2. केपम सुनील देवी 3. रवील सिंह 4. पूरे सिंह 5. रवी (गारंटर)